

**LABOUR DEPARTMENT HARYANA**
श्रम विभाग हरियाणा

Office: 30 Bays Building, 1st Floor, Sector 17-B, Chandigarh-16001 (India) Tel: 91(0172)2701337 Fax: 91(0172)2701266
ऑफिस: 30 बays बिल्डिंग, प्रथम तल, सेक्टर 17-बी, चण्डीगढ़ - 160017 (भारत) टेलफोन: 91(0172)2701337 फैक्स: 91(0172)2701266

कार्यालय आदेश

कार्यालय श्रम आयुक्त, हरियाणा द्वारा दिनांक 29.03.2013 को जारी आदेशों की पालना में श्रम निरीक्षक, सर्कल-6, गुरुग्राम व श्रम निरीक्षक, सर्कल-9, गुरुग्राम के वर्णित क्षेत्राधिकारों में निम्न प्रकार से स्पष्टता लाई जाती है:-

Sr. No.	Name of the Circle Labour Inspector	Jurisdictional limits
27.	Labour Inspector, Circle-6, Gurugram	Sector-17, 18 Electronic City Village Sirhol and Sukhroli and 21, 22, 23, Palam Vihar, All Sector of Palam Vihar New Palam Vihar (Sector 109, 110, 110 A, 111, 112, 113, 114, 115) and Village Bajghera & Sarai Alawardi.
30.	Labour Inspector, Circle-9, Gurugram	Area on the Right side from sadar Bazar upto basai village. sector- 105, 106, 107 & 108 subject to verification from the town and country planning Department, Gurugram/ Municipal Corporation, Gurugram.

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

दिनांक: 13.08.2024

मनी राम शर्मा, आई0ए0एस0
श्रम आयुक्त, हरियाणा।

पृष्ठांकन क्रमांक: स्था0/02/2024/ 21659-68 दिनांक: 16/08/24

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. निजी सचिव/श्रम आयुक्त, हरियाणा।
2. अतिरिक्त श्रम आयुक्त, मुख्यालय।
3. उप श्रम आयुक्त, सर्कल-1, गुरुग्राम को उपरोक्त आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के आदेश दिये जाते हैं।
4. सहायक श्रम आयुक्त, सर्कल-2 व सर्कल-3, गुरुग्राम।
5. आई0टी0 सैल।
6. श्रम निरीक्षक, सर्कल-6 व सर्कल-9, गुरुग्राम को उपरोक्त तालिका में दर्शाये गये अपने क्षेत्र में ही अपनी अधिकारिक गतिविधियों को सीमित रखने के निर्देश दिये जाते हैं।
7. कर्मचारियों की नीजि फाईल।

सहायक श्रम आयुक्त (मुख्या0)
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।